न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—21 / 2023 / 223 आर.टी.एक्ट (2023 / 21)

श्रीमती छगनी पुत्री श्री खंगारा जाति गुर्जर निवासी साम्प्रोंदा तहसील नसीराबाद
मृतक जरिए वारिसान

1. सांवरा पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति गुर्जर
2. कालु पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति गुर्जर
3. भैरू पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति गुर्जर
4. प्रधान पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति गुर्जर
5. हमीरा पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति गुर्जर
6. श्रीमती भूरी पुत्री स्व0 श्री गंगाराम जाति गुर्जर
   समस्त निवासीगण पान्डरवारा तहसील अंराई जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. मुन्ना पुत्री गोरधन जाति गुर्जर
2. श्रीमती सुरता पत्नी स्व0 श्री महावीर, जाति गुर्जर
3. सुनीता पुत्री स्व0 श्री महावीर, जाति गुर्जर
4. अनिता पुत्री स्व0 श्री महावीर जाति गुर्जर
5. रामदेव पुत्र नन्दा, जाति गुर्जर
   समस्त निवासीगण साम्प्रोन्दा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
6. उप—पंजीयक नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2022 राजस्व वाद संख्या 70 / 2011.

उपस्थितः—

1. श्री एन0के0जैन अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सीताराम रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 5
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—02.02.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 70 / 2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब

प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 28.12.2022 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 70/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2022 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि कि जिसके चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 एवं चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2023 से 2026 जो कि प्रदर्श संख्या 06 व प्रदर्श 07 के अनुसार खतौनी संख्या 04 चौसाला खसरा नम्बर 141 रकबा 03–00–00 व 2006 रकबा 04–15–10 अपीलार्थीया की माता अनोपी बेवा खंगारा के नाम दर्ज है, तथा चौसाल जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 के अनुसार भी चौसाला खसरा नम्बर 2071 रकबा 09–10–00, 2072 रकबा 05–18–00, 2076 रकबा 13–00–00 एवं 2000 रकबा 04–12–00 एवं खसरा नम्बर 2066 रकबा 47–00–00 की भूमि की खातेदार भी वादिया की माता श्रीमती अनोपी बेवा खंगारा दर्ज है, कि जिसका स्वर्गवास हो चुका है, के वारिस अपीलार्थीया पुत्री एवं दत्तक पुत्र गोरधन कि जिसका स्वर्गवास हो चुका है के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से 04 है, संयुक्त हिस्सेदारी की भूमि है, जो कि विरासत में प्राप्त हुई कि जिसमें वादिया/अपीलार्थीया का 1/2 हिस्सा एवं गोरधन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का भी 1/2 हिस्सा ही है, इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चौसाला जमाबन्दी प्रदर्श–06 व 07 एवं सजरा प्रमाण पत्र प्रदर्श–11 तथा वर्किंग जमाबन्दी, वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत किए गए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय में प्रस्तुत प्रदर्शित दस्तावेज के सन्दर्भ में कोई विवेचन ही नहीं किया जबकि प्रस्तुत चौसाला जमाबन्दी प्रदर्श–06 व 07 के अनुसार वादिया का 1/2 हिस्सा है जो कि वादिया को विरासत में प्राप्त हुई है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में वादिया श्रीमती छगनी, गवाह में लक्ष्मण पुत्र लादू तथा दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिकूल अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किए गए जो निरस्त किए जाने योग्य है। गोरधन दत्तक पुत्र खंगारा जो कि वादिया का भाई था कि जिससे अपीलाधीन भूमियां का इन्द्राज गोरधन पुत्र खंगारा के नाम ही गलत दर्ज कर दी गई जबकि वादिया भी सहहिस्सेदार है, यहां तक कि अपीलीधीन निर्णय में यह भी दर्शाया कि साबिक खसरा नम्बर 2138, 2162 सरकारी सिवायचक भूमियां कि जिसे गोरधन को आवंटन किया जाना दर्शाया है. इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कि वादिया एवं गोरधन दोनों ही एक ही परिवार के व्यक्ति है ऐसी अवस्था में गोरधन को आवंटित भूमि कि जिसमें वादिया का भी विधिक रूप से हिस्सा है, इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कानूनी दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गोरधन दत्तक पुत्र खंगारा, वादिया पुत्री खंगारा जो कि एक ही परिवार के सदस्य है ऐसी अवस्था में परिवार के एक सदस्य के पक्ष में आवंटित भूमि कि जिसमें परिवार के अन्य सभी सदस्यों का बराबर हिस्सा है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादिया का वाद इस आधार पर भी निरस्त किया गया कि वादिया विवाहिता है ससुराल में रहती है, एवं गोरधन के परिवार का सदस्य नहीं मानते हुए भी वादिया का वाद निरस्त किए जाने में कानूनी त्रुटि की है, इस कारण निर्णय व डिक्री विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 04 जो कि गोरधन दत्तक पुत्र खंगारा के वारिस है, के द्वारा वादिया का वाद को स्वीकार किया गया कि इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 01 मुन्ना पुत्र गोरधन के द्वारा वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की पुश्तैनी बापौती संयुक्त सहहिस्सेदारी, संयुक्त कब्जे काश्त की, अविभाजित

कृषि भूमि कि जिसका प्रतिवादी संख्या 05 रामदेव पुत्र नन्दा के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र प्रारम्भ से शून्य है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 मुन्ना पुत्री गोरधन को विक्रय किए जाने का अधिकार ही नहीं था, ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर निर्णय व डिक्री पारित की जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। वाद पत्र में विवाद बिन्दु संख्या 01 व 02 का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिकूल किया गया इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादिया वाद इस आधार पर भी निरस्त किया कि नन्दा पुत्र हजारी को पक्षकार ही नहीं बनाया गया जबकि विवादित भूमि से नन्दा पुत्र हजारी का कोई हक सरोकार ही नहीं है, जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा नन्दा पुत्र हजारी को वाद पत्र में आदेश 01 नियम 10 (2) जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वमेव ही पक्षकार बनाया जा सकता था, ऐसी अवस्था में वादिया का वाद निरस्त किए जाने मे विधिक त्रुटि की है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 70/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि खसरा नम्बर 2399/0.18, 2166/0.25, 2194/0.04, 2195/0.36, 2228/0.69, 2232/0.30, 2398/0.43, 2408/0.87, 2396/1.09, 2397/0.31, 2436/394, 2464/0.62, 2466/0.16 की आराजी का कथन पूर्णतया गलत है। उक्त आराजी के वर्किंग खसरा नम्बर 141 के हाल खसरा नम्बर 2228 महावीर, किशना, श्रवण पि० मूला गुजर के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुई। साबिक खसरा नम्बर 1957 के हाल खसरा नम्बर 2195 गोरधन की खातेदारी दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 150 के हाल खसरा नम्बर 2228 व 2232 गोरधन की खातेदारी भूमि है। साबिक खसरा नम्बर 1957 के हाल खसरा नम्बर 2137 के हाल खसरा नम्बर 2399, 2398, 2408 गोरधन की खातेदारी भूमि है। साबिक खसरा नम्बर 1959 के हाल खसरा नम्बर 2194 भी गोरधन की भूमि है। साबिक खसरा नम्बर 2137 के हाल खसरा नम्बर 2399, 2408, 2398 गैर खातेदारी से खातेदारी में गोरधन के नाम नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 30.07.2002 को किया गया। उक्त आराजी गोरधन की खातेदारी की है जिस पर वादी का कोई हक नही है तथा गोरधन की मृत्यु के बाद उसकी वारिस मुन्ना पुत्री गोरधन द्वारा अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 रामदेव पुत्र नन्दा को जरियें विकय पत्र बैचान कर दिया। साबिक खसरा नम्बर 2138 मिन व 2162 मिन के हाल खसरा नम्बर 2396, 2397 व 2436 की भूमि नन्दा पुत्र हजारी व गोरधन पुत्र खंगारा की निजी खातेदारी भूमि है। नन्दा पुत्र हजारी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। साबिक खसरा नम्बर 2138 भूमि सरकारी है जो गैर खातेदारी से खातेदारी गोरधन के नाम नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 30.07.2002 को अंकित की गयी। साबिक खसरा नम्बर 2162 के हाल खसरा नम्बर 2436 वर्किंग जमाबंदी में सरकारी भूमि है जो गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुयी है। साबिक खसरा नम्बर 2253 के हाल खसरा नम्बर 2464 व 2253 वर्किंग जमाबंदी में सरकारी भूमि थी जो गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुयी। साबिक खसरा नम्बर 2254 के हाल खसरा नम्बर 2466 बने है जो सरकारी भूमि थी जिसे गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गयी। साबिक खसरा न० 2162 के हाल खसरा नम्बर 2436 नामान्तकरण सख्या 165 दिनांक 30.07.02 के अनुसार नन्दा पुत्र हजारी व गोरधन के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 2162 के हाल खसरा नम्बर 148 दिनांक 15.01.96 से रामदेव पुत्र गंभीरा के नाम गैर खातेदारी व नामान्तकरण संख्या 350 दिनांक 10.12.04 से गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गयी। साबिक खसरा नम्बर 2253 व 2254 की भूमि

भी सरकारी थी जो गैर खातेदारी से खातेदारी हुयी है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा वर्किंग जमाबंदी में गोरधन खातेदारी दर्ज थी। उसकी मृत्यु के बाद वारिसान पुत्र महावीर व पुत्री मन्ना के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। मन्ना ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं० 5 को बैचान कर दिया है। व कब्जा भी सुपुर्द कर दिया है। वादी की उम्र 80 वर्ष से अधिक है। उपरोक्त भूमि पुश्तैनी नहीं है। आराजी मुतनाजा को हडपने के लिये उक्त वाद पेश किया गया है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेंट प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन करते हुए। वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 28.12.2022 को खारिज किए जाने के आदेश पारित कर प्रकरण में निर्णय व डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय से असंतुष्ट होकर वादीया/अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

वादीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खाता संख्या 130/703 के खसरा नम्बर 2399, खाता संख्या 131/66 के खसरा नम्बर 2166, 2194, 2195, 2228, 2232, 2398, 2408, खाता संख्या 242/196 के खसरा नम्बर 2396, 2397, 2436 खाता संख्या 243/197 के खसरा नम्बर 2464, 2466 उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीया व प्रतिवादीगण को हिस्से अनुसार खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाने हेतु अनुतोष चाहा गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2023 से 2026 अनुसार विवादित आराजीयात मु0 अनोपी बेवा खंगारा कौम गुर्जर सा0देह खातेदार दर्ज है, जो कि पत्रावली पर प्रदर्श संख्या 7 के रूप में अंकित है तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2019 से 2022 में भी उक्त आराजीयात वादी/अपीलांट की माता के नाम दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2399, 2166, 2194, 2195, 2228, 2232, 2398, 2408 रेस्पोडेंट के पिता गोरधन मुत0 खंगारा कौम गूर्जर को जरिए विरासत से नामांतरकरण संख्या 198 दिनांक 22.03.2010 से खातेदार/काश्तकार दर्ज किया गया। जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खसरा नम्बर 2396, 2397, 2436, 2464, 2466 के अनुसार भी उक्त विवादित आराजीयात रेस्पोडेंट के पिता को जरिए विरासत प्राप्त हुई है।

इन समस्त तथ्यों से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त भूमि पुश्तैनी है, चूंकि रेस्पोडेंट के पिता को उक्त आराजीयात जरिए विरासत माता अनोपी से प्राप्त हुई होना जमाबंदी में वर्णित है। वादीया/अपीलांट का मृत्यु प्रमाण पत्र भी उपलब्ध है जिसके अनुसार छगनी की माता अनोपी व पिता खंगारा गुर्जर अंकित है। चूंकि वादीया/अपीलांट द्वारा वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुश्तैनी आराजीयात में अपने अधिकारों की मांग हेतु प्रस्तुत किया गया था तथा वादीया/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ व अपीलीय न्यायालय में विवादित आराजीयात को पुश्तैनी ही बताया गया है जो कि समस्त दस्तावेजों से स्पष्ट है। ग्राम पंचायत समिति श्रीनगर द्वारा भी पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भी खंगारा की पत्नि अनोपी, पुत्री छगनी व गोरधन को दत्तक पुत्र बताया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी अनुसार भी रेस्पोडेंट के पिता को विवादित आराजीयात जरिए विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबंदी में भी गोरधन **मुतबन्ना** खंगारा अंकित है, परंतु रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण द्वारा इस कथन का किसी भी न्यायालय में

खण्डन नहीं किया गया है कि वह खंगारा का गोदपुत्र नहीं है, अथवा छगनी खंगारा व अनोपी की पुत्री नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई परंतु उनके द्वारा तनकी की सही रूप से विवेचना ही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी को इस आधार पर निर्धारित किया गया कि वादीया/अपीलांट का विवाह 50 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा विवादित आराजी गोरधन को आवंटन/नियमन के समय वह परिवार की सदस्य नहीं थी। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि वादीया द्वारा वाद पुश्तैनी आराजीयात में अपने हक हिस्से को लेकर प्रस्तुत किया गया था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर बिना कोई उल्लेख किए प्रकरण का निस्तारण सरसरी तौर पर किया गया।

विवादित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 5 को दिनांक 15.03.2011 को विक्रय किया गया। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी कोई उत्तर नहीं दिया गया कि उक्त विक्रय किया जा सकता था अथवा नहीं चूंकि वाद पुश्तैनी आराजीयात में हक अधिकारों हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर बिना कोई उल्लेख किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 का निर्धारण भी सरसरी तौर पर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों तनकीयों का निस्तारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम का उल्लेख किए बिना किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विधिक त्रुटि कारित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 70/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि खसरा नम्बर 2162 व 2167 जो गोरधन को स्वयं आवंटित हुई है को छोडकर अन्य विवादित आराजीयात जो गोरधन को जरिए विरासतन प्राप्त हुई है कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत जांच कर प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.02.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 02.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर